

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ

बलदेव आदि बनाम कृष्णलाल वगैरह

किस्म मुकदमा:-88,53,209 आरटीए। प्रकरण संख्या:- 24/2024

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म को  
जारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2024	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 11.01.2024 को प्रेषित प्रश्नगत भूमि के प्राथमिक डिकी अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने पर पेशी में ली गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष वकीलगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बताया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव मिजवाये गये है वह स्वीकार है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बताया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार खाता विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को प्रश्नगत भूमि बाबत बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई थी। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुसार प्राथमिक डिकी की पालना में रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद विभाजन प्रस्ताव हुए है। विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीगण की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वादीगण के रकबा में खाला व रास्ता की भूमि अधिक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2-6-7 पि0 बुधराम के हिस्सा की 0.013 हैक्टर भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त 0.013 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 2-6-7 के रकबा में से कलमजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा में दर्ज किया जावे। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।</p> <p>1.सावित्री पत्नि काशीराम 590/2168 रहन सिण्डीकेट बैंक शाखा सूरतगढ, बलदेव पुत्र काशीराम 788/2166 रहन दि0 410/2168 सोमदत्त पुत्र काशीराम 790/2168 जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 44/376 कि.नं. 19 की 0.007, 20 की 0.006 (दोनो किलों के दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिमी लम्बाई में), 21 ता 22/0.506 हैक्टर नाली प्रथम, प.नं. 44/377 कि.नं. 1/1 की 0.228, 1/2 की 0.025 (खाला), 2/1 की 0.228, 2/2 की 0.025 (खाला)=0.506 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला, प.नं. 43/378 कि.नं. 1/0.114, 2-3/0.506, 8/0.215, 9/0.164, 10/0.063=1.062 नाली प्रथम, प.नं. 43/376 कि.नं. 23/0.094 पश्चिम कुल 2.181 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला</p> <p>2.कालूराम पुत्र बुधराम 1/3, सुखदेव पुत्र बुधराम 1/3, हनुमान पुत्र बुधराम 1/3 जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 43/375 कि.नं. 7-14/0.506,17/0.240=0.746, प.नं. 44/376 कि.नं. 11-12 की 0.506, 19/0.246, 20 की 0.247 कुल 1.745 हैक्टर नाली प्रथम</p> <p>3.कृष्ण पुत्र रामरख 862/2070 रहन एचडीएफसी शाखा सूरतगढ, रामनारायण पुत्र रामरख 373/2070, अल्का पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, कमलादेवी पत्नि पृथ्वीराज 13/2070, मन्जुदेवी पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, सुमनदेव पुत्री पृथ्वीराज 14/2070, संतोषदेवी पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, सुमनदेवी पुत्री पृथ्वीराज 14/2070, वेदप्रकाश पुत्र रामरख 372/2070, रिछपाल पुत्र रामरख 384/2070 की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2024	<p>नं. 44/376 कि.नं. 10/1 क 0.101, 13-18/0.506 कुल 0.607 हैक्टर नाली प्रथम, प. नं. 43/376 कि.नं. 24-25 की 0.506 हैक्टर नाली प्रथम, प.नं. 42/377 कि.नं. 1/1 की 0.228, 1/2 की 0.205 (खाला), 10/0.253, 11/1 की 0.012=0.518 नाली प्रथम मय खाला, प.नं. 43/377 कि.नं. 5/2 की 0.021, 5/4 की 0.177, 6/0.228, 15/0.013=0.439 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला कुल 2.070 हैक्टर</p> <p>4.भोलूराम पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी के प.नं. 42/377 कि.नं. 11/2 की 0.241, प.नं. 43/377 कि.नं. 6/0.025, 7/0.253, 15/0.240=0.759 हैक्टर नाली प्रथम</p> <p>5.भागचन्द पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार रहन 1.645 हैक्टर सिण्डिकेट बैंक शाखा सूरतगढ़ की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 42/376 कि.नं. 19 ता 22 की 1.012, प.नं. 42/377 कि.नं. 2/1 की 0.228, 2/2 की 0.025 (खाला), 9/2 की 0.139, प.नं. 43/376 कि.नं. 18/0.051, 19/0.253, 20/0.114=1.822 हैक्टर नाली प्रथम</p> <p>6.रामदेवी पत्नी निहालचन्द 179/2150, निहालचन्द पुत्र हजारीराम 1971/2150 रहन-निहालचन्द केनरा बैंक शाखा सूरतगढ़ जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 43/376 कि.नं. 1/0.101, 11/0.114, 12 ता 14 की 0.759, 16 ता 17 की 0.506 18/0.202, 23/0.159 प.नं. 43/377 कि.नं. 4/1 की 0.228, 4/2 की 0.025 (खाला), 5/1 की 0.004, 5/3 की 0.051=2.149 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला।</p> <p>राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। परचा डिकी जारी हो। पत्रवली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

--:परचा डिकी::-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर  
(बइजलास :-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

--: अनवान ::-

- 1.बलदेव पुत्र काशीराम
- 2.सोमदत्त पुत्र काशीराम
- 3.सावित्री पत्नी काशीराम

जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-वादीगण

बनाम

- 1.कृष्णलाल पुत्र रामरख
- 2.कालूराम पुत्र बुधराम
- 3.निहालचन्द पुत्र हजारीराम
- 4.भागचन्द पुत्र हजारी
- 5.रिछपाल पुत्र रामरख
- 6.सुखदेव पुत्र बुधराम
- 7.हनुमान पुत्र बुधराम
- 8.अलकादेवी पुत्री पृथ्वीराज
- 9.कमलादेवी पत्नी पृथ्वीराज
- 10.भोलूराम पुत्र धोंकल
- 11.मन्जुदेवी पुत्री पृथ्वीराज
- 12.मनीषकुमार पुत्र पृथ्वीराज
- 13.रामदेवी पत्नी निहालचन्द
- 14.रामनारायण पुत्र रामरख
- 15.वेदप्रकाश पुत्र रामरख
- 16.सन्तोषदेवी पुत्री पृथ्वीराज
- 17.सुमनदेवी पुत्री पृथ्वीराज
- 18.शाखा प्रबन्धक, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
- 19.शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे (वर्तमान एसबीआई, एडीबी) शाखा सूरतगढ
- 20.शाखा प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक शाखा सूरतगढ
- 21.शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा सूरतगढ
- 22.तहसीलदार-सूरतगढ



-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-53,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 24 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री अमित कुमार सैनी तथा प्रतिवादीगण श्री विनोद कुमार बिश्नोई, श्री इन्द्रपाल, श्री अमरजीत सिंह सन्धु तथा प्रतिवादी संख्या 20 वकील श्री ओमसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 21 वकील श्री सुरेन्द्रपाल सिंह एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि:-

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2-6-7 पि0 बुधराम के हिस्सा की 0.013 हैक्टर भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त 0.013 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 2-6-7 के रकबा में से कलमजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा में दर्ज किया जावे। प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.सावित्री पत्नी काशीराम 590/2168 रहन सिण्डीकेट बैंक शाखा सूरतगढ, बलदेव पुत्र काशीराम 788/2166 रहन दि0 410/2168 सोमदत्त पुत्र काशीराम 790/2168 जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 44/376 कि.नं. 19 की 0.007, 20 की 0.006 (दोनो किलों के दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिमी लम्बाई में), 21 ता 22/0.506 हैक्टर नाली प्रथम, प.नं. 44/377 कि.नं. 1/1 की 0.228, 1/2 की 0.025 (खाला), 2/1 की 0.228, 2/2 की 0.025 (खाला)=0.506 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला, प.नं. 43/378 कि.नं. 1/0.114, 2-3/0.506, 8/0.215, 9/0.164, 10/0.063=1.062 नाली प्रथम, प.नं. 43/376 कि.नं. 23/0.094 पश्चिम कुल 2.181 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

2.कालूराम पुत्र बुधराम 1/3, सुखदेव पुत्र बुधराम 1/3, हनुमान पुत्र बुधराम 1/3 जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 43/375 कि.नं. 7-14/0.506,17/0.240=0.746, प.नं. 44/376 कि.नं. 11-12 की 0.506, 19/0.246, 20 की 0.247 कुल 1.745 हैक्टर नाली प्रथम

3.कृष्ण पुत्र रामरख 862/2070 रहन एचडीएफसी शाखा सूरतगढ़, रामनारायण पुत्र रामरख 373/2070, अल्का पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, कमलादेवी पत्नि पृथ्वीराज 13/2070, मन्जुदेवी पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, सुमनदेव पुत्री पृथ्वीराज 14/2070, संतोषदेवी पुत्री पृथ्वीराज 13/2070, सुमनदेवी पुत्री पृथ्वीराज 14/2070, वेदप्रकाश पुत्र रामरख 372/2070, रिछपाल पुत्र रामरख 384/2070 की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी नं. 44/376 कि.नं. 10/1 क 0.101, 13-18/0.506 कुल 0.607 हैक्टर नाली प्रथम, प.नं. 43/376 कि.नं. 24-25 की 0.506 हैक्टर नाली प्रथम, प.नं. 42/377 कि.न. 1/1 की 0.228, 1/2 की 0.205 (खाला), 10/0.253, 11/1 की 0.012=0.518 नाली प्रथम मय खाला, प.नं. 43/377 कि.न. 5/2 की 0.021, 5/4 की 0.177, 6/0.228, 15/0.013=0.439 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला कुल 2.070 हैक्टर

4.भोलूराम पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:-चक 34 पीबीएन-बी के प.नं. 42/377 कि.नं. 11/2 की 0.241, प.नं. 43/377 कि.नं. 6/0.025, 7/0.253, 15/0.240=0.759 हैक्टर नाली प्रथम

5.भागचन्द पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार रहन 1.645 हैक्टर सिण्डिकेट बैंक शाखा सूरतगढ़ की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 42/376 कि.नं. 19 ता 22 की 1.012, प.नं. 42/377 कि.नं. 2/1 की 0.228, 2/2 की 0.025 (खाला), 9/2 की 0.139, प.नं. 43/376 कि.नं. 18/0.051, 19/0.253, 20/0.114=1.822 हैक्टर नाली प्रथम

6.रामदेवी पत्नी निहालचन्द 179/2150, निहालचन्द पुत्र हजारीराम 1971/2150 रहन-निहालचन्द केनरा बैंक शाखा सूरतगढ़ जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार की भूमि:- चक 34 पीबीएन-बी प.नं. 43/376 कि.न. 1/0.101, 11/0.114, 12 ता 14 की 0.759, 16 ता 17 की 0.506 18/0.202, 23/0.159 प.नं. 43/377 कि.नं. 4/1 की 0.228, 4/2 की 0.025 (खाला), 5/1 की 0.004, 5/3 की 0.051=2.149 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। यदि किसी खातेदार के पक्ष में रहन है तो वह यथावत् रहेगा।

नोज.....ग.....मुबलिंग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्टों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.01.2024 को जारी की गई।



(संदीप कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)